कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18420/2019 राम सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगनादेश दिनांकः 07.11.2019 जारी किया गया था जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.11.2019 द्वारा श्री राम सिंह मीणा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि बडौली जिला सवाईमाधोपुर से राउमावि खेतडली जिला पाली) को माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि बडौली जिला सवाईमाधोपुर में पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था।

सिविल रिट पिटीशन संख्या 18420/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 28.01.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री राम सिंह मीणा पर **माननीय न्यायालय से आधारभूत तथ्य छिपाने की एवज में रूपये 20000/– (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित करते हुए** उनकी याचिका को खारिज कर दिये जाने एवं विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 के याचिकार्थी श्री राम सिंह मीणा एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 श्री सत्य प्रकाश मीणा के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए श्री सत्य प्रकाश मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि–खेतडली जिला पाली को राउमावि बडौली जिला सवाईमाधोपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

श्री राम सिंह मीणा, प्रधानाचार्य, राउमावि बडौली जिला सवाईमाधोपुर को तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है वे अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि खेतडली जिला पाली में प्रघानाचार्य पद पर अविलम्ब कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। **श्री मीणा को पाबन्द किया जाता है कि वे माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 20000/–(बीस हजार मात्र) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के चार सप्ताह के भीतर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर शाखा जयपुर में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

(हिमांशु गुप्ता) 4/2
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/रामसिंह/18420/2019 दिनांकः 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/पाली संभाग, भरतपुर/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सवाईमाधोपुर/पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सवाईमाधोपुर/पाली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)